मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002

www.esic.nic.in

संख्या : ई-13/12/08/2017-ज.सं. दिनांक : 27.02.2017

प्रेस प्रकाशनी

सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्तियों को अति विशिष्टता उपचार प्रदान करना

क.रा.बी. निगम ने श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन दिनांक 18.02.2017 को कोच्चि में आयोजित अपनी 171वीं चिंतन बैठक में सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्तियों को अति विशिष्टता उपचार प्रदान करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। **श्री बंडारु दत्तात्रेय**, माननीय श्रम और रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार/अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम ने बैठक की अध्यक्षता की।

अति विशिष्टता उपचार सहित चिकित्सा देखरेख

सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्ति तथा उनके विवाहिती ₹ 120/- प्रतिवर्ष के भुगतान पर संस्थानिक चिकित्सा सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। अब, निगम ने सिद्धांतत: सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्तियों को अति विशिष्टता उपचार की सुविधा के विस्तार को निम्नलिखित पात्रता शर्तों के अधीन अनुमोदन प्रदान किया है :-

1. बीमाकृत व्यक्ति को सेवानिवृत्ति से पूर्व बीमायोग्य रोजगार की अपनी अर्हक अवधि के दौरान अति विशिष्टता उपचार के लिए पात्र होना चाहिए।
2. केवल बीमाकृत व्यक्ति तथा उसका/उसकी विवाहिती उपचार के पात्र होंगे।
3. बीमाकृत व्यक्ति को अपनी सेवानिवृत्ति के एक माह के भीतर नियम 61 के अंतर्गत नामांकित करना।
4. सेवानिवृत्ति पर जुड़ने का विकल्प एकबारगी होगा, उसके पश्चात् कोई नामांकन नहीं होगा।
5. वर्तमान लाभार्थियों को नियम 61 के अंतर्गत अति विशिष्टता उपचार के लिए चुनने का एकबारगी विकल्प होगा।
6. एक सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्ति जो कि किसी भी समय बाहर जाने का विकल्प चुन चुका है, सेवानिवृत्ति के पश्चात् किसी भी आगामी तिथि में फिर से जुड़ने का पात्र नहीं होगा।
7. वित्त वर्ष में टाई-अप अस्पतालों को अति-विशिष्टता उपचार/सभी रेफरल पर व्यय की अधिकतम सीमा ₹ 10,00,000/- पर सीमाबद्ध की जा सकती है।
8. बीमाकृत व्यक्ति तथा विवाहिती दोनों के लिए जीवनकाल में अति विशिष्टता उपचार के लिए कुल ₹ 15,00,000/- की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए।
9. बीमाकृत व्यक्ति जो कि पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके परंतु अभी तक नामांकित नहीं हुए, 3 माह की अवधि के भीतर योजना में शामिल होने का एकबारगी अवसर प्रदान किया जाता है। तथापि, वे 6 माह की प्राक्फलन काल के पश्चात् ही अति विशिष्टता उपचार के लिए पात्र होंगे।
10. चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार दिवंगत बीमाकृत व्यक्ति की विधवा अर्थात् आश्रित हितलाभ प्राप्त करने वाली विधवा के लिए किया जाता है। अति विशिष्टता उपचार की सुविधा का विस्तार इन विधवाओं के लिए किया जा सकता है।

बीमांकक ने अति विशिष्टता उपचार के लिए सेवानिवृत्त सदस्य तथा विवाहिती को ₹ 10 लाख की व्याप्ति के लिए ₹ 1,700/- प्रतिमाह का स्थूल अनुमान लगाया है। तथापि सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा हितलाभ सहित अति विशिष्टता उपचार प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले भुगतान पर श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्णय बाद में किया जाएगा। यह सुविधा दिनांक 01.04.2017 से उपलब्ध कराए जानेकी संभावना है।

भारत में क.रा.बी. योजना :

क.रा.बी. निगम चोट, बीमारी, मृत्यु इत्यादि जैसी आवश्यकता के समय में विस्तृत सामाजिक सुरक्षा हितलाभ अर्थात् उचित चिकित्सा देखरेख तथा नकद हितलाभ की श्रृंखला प्रदान करने वाला अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है। क.रा.बी. अधिनियम उन कारखानों/स्थापनाओं पर लागू होता है, जहाँ 10 अथवा उससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। कर्मचारी जो कि ₹ 21,000/- प्रतिमाह की मजदूरी का आहरण करता है, क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा व्याप्ति तथा अन्य हितलाभ प्राप्त करने का हकदार है। कामगारों की लगभग 2.13 करोड़ पारिवारिक इकाइयों को लाभ प्रदान करते हुए, अधिनियम अब संपूर्ण भारत में लगभग 7.83 लाख कारखानों तथा स्थापनाओं पर लागू होता है। इस समय, क.रा.बी. योजना से लाभान्वित होने वाली संख्या 8.28 करोड़ से अधिक है। वर्ष 1952 में इसके आरंभ से, क.रा.बी. निगम ने अब तक 151 अस्पताल, 1467/159 औषधालय/आइएसएम इकाइयां, 813 शाखा/भुगतान कार्यालय तथा 62 क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय/प्रभागीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

*****